24.02.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.।
अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते
हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन
आराजी पर अपीलांट का कब्जा
काश्त है। तथा अपीलाधीन आराजी के
रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा अपीलाधीन
आराजी के खातेदार अपीलांट है।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट
को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं
दिया गया। अपीलाधीन आदेश की
आड़ में अपीलांट को अपीलाधीन
आराजी के उपभोग एवं उपयोग से वंचित
किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय
क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला
प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन
अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपील
स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो. अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है दावे के निस्तारण में रहते अपीलाधीन आस्ती खुर्द-बुर्द की जाती है तो रेस्पो. को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पो. के पक्ष में है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गयी मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षों के हितों का निर्धारण दावे के निस्तारण पर ही संभव है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है लिहाजा अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 को बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नकल देकर दफ्तर हो। आदेश मेरे इजलास सुनाया गया।